न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2026-35RAABarmer2026-17RTA223 Bhagwanaram Vs Laduram etc

भगवानाराम पुत्र श्री दुर्गाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम आलपुरा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर वर्तमान जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. लादुराम पुत्र श्री रामकिशोर,
2. जयप्रकाश पुत्र श्री रामकिशोर,
   दोनो जाति अग्रवाल, निवासी गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर वर्तमान जिला बालोतरा।
3. दीपाराम पुत्र श्री गजाराम, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम आलपुरा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर वर्तमान जिला बालोतरा।
4. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गुड़ामालानी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2026 सहायक
कलक्टर गुड़मालानी राजस्व मूल वाद संख्या 565/2025
लादूराम व अन्य बनाम भगवानाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधुराम चूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जामताराम पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 03 जून 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 565/2025 अनवान लादूराम व अन्य बनाम भगवानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम आलपुरा के खसरा नंबर 472/215 रकबा 0.5662 हैक्टेयर के संबंध में कब्जा दिलवाने एवं शाश्वत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादी को लिखित जवाब प्रस्तुत करने का अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रदान किये बिना उसका जवाब बंद करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। वादीगण द्वारा नेखमबंदी के आदेश दिनांक 14.06.2024 एवं नेखमबंदी फर्द दिनांक 28.06.2025 के आधार पर कब्जा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त नेखमबंदी आदेश एवं फर्द को निरस्त करने के लिए प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की जाकर लंबित चल रही है, जब तक नेखमबंदी का आदेश अन्तिम नहीं हो जाता, तब तक उसके आधार पर प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं रहता है, इन कारणो से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादकारण उत्पन्न नहीं होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त कारण से विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, जिसको विचारण न्यायालय ने बिना न्यायिक ध्यान दिए मनमाने तौर पर अस्वीकार कर दिया। वादीगण/रेस्पो. ने बिना न्यायालय स्वीकृति के नए वादार्थीयों द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत किया, जिसको विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के उजर एतराज लिए बिना उसको शामिल पत्रावली करने में गंभीर भूल की है तथा प्रतिवादी के उजर एतराज लिए बिना अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर लेने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण अपीलाधीन तमाम कार्यावाही विधि के अनिवार्य प्रावधानो एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त संशोधित वाद मूल वाद की प्रकृति का पूर्ण परिवर्तन करते हुए प्रस्तुत किया गया था, जो प्रस्तुत किये जाने के योग्य ही नहीं था। विचारण न्यायालय ने भूमि के खरीददार दीपाराम को आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. में वादी पक्षकार बनाने का आदेश देने में गंभीर भूल की है, जबकि उक्त दीपाराम ने भूमि को दावे के दौरान बिना न्यायालय की स्वीकृति के खरीद की है, जिससे खरीददार दीपाराम को खरीद से कोई हक अधिकार प्राप्त ही नहीं हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि खरीददारान् द्वारा बिना कब्जा हस्तांतरण के बेचाननामे निष्पादित किये गये है जो अपूर्ण होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं वादीगण के गवाहन से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 565/2025 अनवान लादूराम व अन्य बनाम भगवानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2026 को अपास्त किया जावे एवं वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

जवाब में उतरदाता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 472/215 रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट को रेस्पो. की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण/रेस्पो. की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को बखूबी साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलांट के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा के विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 472/215 नवीन खसरा संख्या 633/472 रकबा 0.6849 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 632/472/0.1052 हैक्टेयर ग्राम आलपुरा तहसील गुड़ामालानी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–पी. 12 व 13(सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2025 तथा 13.07.2025) के मुताबिक अपीलांट द्वारा वादीगण/रेस्पो. की खातेदारी भूमि के आंशिक भाग(लाल स्याही से दर्शित भाग) पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। कानूनन अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि के अलावा रेस्पोडेंट्स/रेकर्डेड खातेदार की भूमि पर बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत रूप से अतिचार/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट सहित उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.12.2025 के मुताबिक प्रतिवादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस किये जाने का निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 565/2025 अनवान लादूराम व अन्य बनाम भगवानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जनवरी 2026 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर